पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 14, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–10

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	387–406	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	99–106	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	1425
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...		

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पर्यावरण सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग

अधिसूचना

05 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 546/XXXVIII-1-22-03(06)/2021– श्री राज्यपाल, "सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" को निम्नानुसार विनियमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

यह पुरस्कार विश्वविख्यात पर्यावरणविद् स्व0 सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में "सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" के नाम से जाना जायेगा, जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किये गये महत्वपूर्ण योगदान, उसके प्रभाव, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके समग्र सुधार के सम्बन्ध में किये गये उत्कृष्ट/सराहनीय कार्यों के लिए वर्ष 2023 से प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

पुरस्कार की श्रेणियाँ :–

सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रति वर्ष 02 श्रेणियों क्रमशः सरकारी एवं गैर सरकारी में दिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी में 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) दिये जायेंगे। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम स्थान हेतु ₹3.00 लाख, द्वितीय स्थान हेतु ₹2.00 लाख एवं तृतीय स्थान हेतु ₹1.00 लाख की नगद धनराशि के साथ ब्रहमकमल ट्राफी भी प्रदान की जायेगी।

पात्रता :–

सरकारी श्रेणी हेतु उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न सरकारी विभाग/कार्यालय/निगम/बोर्ड/अभिकरण आदि एवं गैर सरकारी क्षेत्र हेतु कोई भी व्यक्ति/निजी कम्पनी/संस्थान/सामुदायिक संगठन/स्वयं सहायता समूह/एन.जी.ओ. आदि, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य किये गये हों एवं परिणाम परिलक्षित हुए हों, पुरस्कार हेतु पात्र होंगे। "प्रकृति एवं पर्यावरण" शब्द की व्याख्या यथा संभव व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया :–

उक्त पुरस्कार के आमंत्रण हेतु प्रत्येक वर्ष विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की कुल अवधि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की होगी। पर्याप्त प्रचार के लिए प्रमुख क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। इस विज्ञापन को राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/निगमों/बोर्डों/अभिकरणों आदि तथा कोई भी नागरिक/निजी कम्पनी/संस्थानों/सामुदायिक संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/एन.जी.ओ. आदि जिनके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय/उत्कृष्ट कार्य किये गये हों, "सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" हेतु आवेदन के पात्र होंगे। स्वतः भिजवाए गए अथवा किसी अन्य के द्वारा आवेदित

आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित सूचनाएं भेजी जाएँगी :–

i. आवेदन कर्ता व्यक्ति/समूह (सरकारी अथवा गैर सरकारी) का नाम, पता तथा अन्य विवरण;
ii. कार्य का क्षेत्र;
iii. आवेदन कर्ता व्यक्ति/समूह द्वारा किया गया उल्लेखनीय योगदान;
iv. आवेदन कर्ता व्यक्ति/समूह द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न प्रभाव अथवा संभावित प्रभाव;
v. आवेदन कर्ता व्यक्ति/समूह को पूर्व में प्रकृति एवं पर्यावरण के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कार, प्रशस्ति–पत्र, अनुशंसा, प्रिन्ट–मीडिया/सोशल–मीडिया में प्राप्त मान्यता संबंधी प्रमाण–पत्र आदि;
vi. आवेदन कर्ता व्यक्ति/समूह द्वारा किये गये उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य संबंधी फोटो एवं वीडियो आदि;

विज्ञापन प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। आवेदन प्राप्त किए जाने हेतु 45 दिन का समय दिया जायेगा। आवेदनकर्ता द्वारा स्वहस्ताक्षरित आवेदन, ऑफ लाईन अथवा ऑन–लाईन माध्यम से निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय को भेजा जायेगा।

आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन :–

प्राप्त आवदनों के परीक्षण एवं सत्यापन हेतु राज्य, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। राज्य, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त आवेदनों का पुरस्कार हेतु निर्धारित पात्रता के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करते हुए, सरकारी एवं गैर सरकारी श्रेणियों में वर्गीकरण का कार्य 15 मार्च तक सम्पन्न किया जायेगा।

सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार चयन समिति:–

राज्य, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं सत्यापनोपरान्त वर्गीकृत आवेदनों की सूची, कार्यों तथा उपलब्धियों का विवरण चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति निम्नानुसार होगी :–

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
(4) प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड – सदस्य
(5) निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखण्ड – सदस्य
(6) निदेशक, जी0बी0पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा – सदस्य

(7) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य — सदस्य
(8) राज्य सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ सदस्य — सदस्य
(9) राज्य सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के एन.जी.ओ. का प्रतिनिधि — सदस्य
(10) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य–सचिव

चयन समिति की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिये जाने हेतु अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

चयन का मानदण्ड :–

पुरस्कार समिति अन्य बातों के साथ–साथ आवेदनकर्ता द्वारा प्रकृति एवं पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट/सराहनीय कार्यों हेतु निम्नलिखित मानदण्डों (सांकेतिक सूची) को ध्यान में रखेगी :–

(1) किये गये कार्यों को मॉडल के रूप में लागू किया जा सकता हो।
(2) संबंधित कार्य नवाचारी, सृजनात्मक, विस्तारणीय हो।
(3) किये गये कार्यों से दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्र वासियों, महिलाओं, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी निर्धन वर्ग, व्यापक समुदायों आदि को मूर्त लाभ पहुँच रहा हो।
(4) किये गये कार्यों/लगाए गए संसाधनों का प्रकृति एवं पारिस्थितिकी पर मूर्त प्रभाव।
(5) किये गये कार्य शैक्षिक महत्व की दृष्टि से प्रासंगिक हों।
(6) किया गया कार्य वित्तीय, परिस्थितिकीय एवं सामाजिक दृष्टि से निरन्तरता/सततता सुनिश्चित करता हो।

तथापि, पुरस्कार समिति इन मानदण्डों और उनके पास उपलब्ध किसी अन्य सम्बद्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना स्वतंत्र मूल्याँकन करेगी;

अगर किसी वर्ष में पुरस्कार समिति के विचार से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो सरकार उस वर्ष के पुरस्कार को स्थगित कर सकती है।

पुरस्कार वितरण :–

सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस–05 जून, के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की उपलब्धियों का प्रशस्ति–पत्र पढ़ा जाएगा। इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने कार्यों की महत्ता व प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए सम्बोधन कर सकते हैं।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप/पदोन्नति आदेश

27 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1919/XIX-1/21/16 खाद्य/2012–विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 (लेवल 10) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– श्रीमती शान्ति भण्डारी

2– श्री आलोक जी

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती शान्ति भण्डारी एवं श्री आलोक जी को सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पद पर 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है। संबंधित अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3– यह पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1674/VII-A-2/2021/28-सिडकुल/2016– औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–940/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05, दिनांक 09/10 नवम्बर, 2004 के द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी दिशा–निर्देशो के अधीन शासनादेश संख्या–387/697/आई0डी0/2006, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–54/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 10 मई, 2005 एवं अधिसूचना संख्या–815/VII–2/2015/28–सिडकुल/2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय के प्रस्ताव, पत्रसं0–1248/उ0नि0/2019–20, दिनांक 01 जुलाई, 2019 एवं शासन के पत्र सं0– 1532/VII–A–2/2021/28–सिडकुल/2016 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में खरमासी औद्योगिक आस्थान, खरमासी–भगवन्तपुर, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के विस्तारीकरण हेतु चिन्हित भूमि के विनियमन/अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित तालिका के कॉलम–2 में अंकित खसरा नम्बरों, जो आस्थान से सम्बद्ध/निरन्तरता में है, को आस्थान के विस्तार के रूप में विकसित किये जाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम–1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 2(d) के अन्तर्गत अग्रलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम एवं खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
ग्राम–खरमासी, व भगवन्तपुर, तहसील– काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर।	खरमासी– 47 क, 48 क, 48 ख	कुल रकबा 10.521
	भगवन्तपुर–341,342,343,344,345	

1. आस्थान के नियोजित विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाले औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक बिकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
2. औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध कराये जाने वाली अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में सभी स्पष्ट सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।
3. आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसें वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग आदि से वांछित बिभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी यह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण कराई जायेंगी।
4. आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेल डीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।
5. निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा महानिदेशक–उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रवर्तक कम्पनी द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर, नियमित रूप से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
7. उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना निरस्त की जा सकती है।

2– उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1675/VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013– चूंकि, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–556/VII–2/2015/17–उद्योग/2013 दिनांक 28.07.2015 द्वारा लार्ज, मेगा तथा अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्राख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति–2015, जिसमें शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1033/VII–1/17–उद्योग/2013 TC, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016, कार्यालय ज्ञाप संख्या–358(1)/VII–1/2018/17–उद्योग/2013 TC, दिनांक 25 मई, 2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–236/VII-A-2/2020/17–उद्योग/2013 दिनांक 11 जून, 2020 से समय–समय पर संशोधन भी किये गये हैं:

और चूंकि, नीतिगत कार्यों में सुगमता तथा सरलीकरण के दृष्टिगत उक्त नीति में किये गये संशोधनों को समाहित करते हुये नयी एकीकृत नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है:

अतः अब राज्यपाल, उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास दर में वृद्धि तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु निम्नवत् नयी **"मेगा इण्डस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति, 2021"** प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. इस नीति का संक्षिप्त नाम **'मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021'** है।

ii. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार (उद्योग विभाग/सिडकुल) द्वारा विकसित सभी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र, अधिसूचित निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/ विशेष औद्योगिक क्षेत्र, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2003–सीई दिनांक 10 जून, 2003 में Proposed Industrial Estates/Area व Expansion of the Existing Industrial Estates शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों अथवा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विधिक रूप से अर्जित ऐसी भूमि, जिसका भू–उपयोग विनियमित क्षेत्र के अनुमोदित मास्टर प्लान में औद्योगिक या व्यवसायिक अथवा सेवा क्षेत्र की अनुमन्य गतिविधि के संचालन के लिए सम्बन्धित विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी/विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किया गया हो, अथवा विनियमित क्षेत्र से बाहर (नगर निगम/महानगर पालिका/नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर) की भूमि, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 143 सपठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 135 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक/अकृषक घोषित की गयी हो, आच्छादित होंगे।

स्पष्टीकरण: उक्त प्रावधान मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2015 (यथासंशोधित)–2016, 2018 व 2020 के अन्तर्गत स्थापित हो रही ऐसी परियोजनाओं पर भी लागू होंगी, जिन्होने इस नीति के प्रवृत्त होने से पूर्व अपनी परियोजना की स्थापना के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर सभी सम्बन्धित विभागों से वांछित स्वीकृतियां/निराक्षेप/अनुज्ञा प्राप्त कर उद्यम स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी हो।

iii. इस नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विकसित/अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा अन्य अभिज्ञात स्थलों पर स्थापित होने वाली निम्नलिखित चिन्हित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र की नयी परियोजनायें और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाईयां नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी:–

(अ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं. 2(2)/2018-एसपीएस-दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के अनुबन्ध–1 में निषेध सूची (Negative List) के अन्तर्गत चिन्हित निम्नलिखित उद्योगों को छोड़कर सभी एकल विनिर्माणक उद्योग।

निषेध सूची:

1. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।
2. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ. 705(ई), दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ. 698 (ई), दिनांक 17.06.2003 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।

4. पौधरोपण, शोधशालायें तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की परियोजनायें।

5. पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाला सामान।

6. कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश, सीमेंट एवं स्टील रोलिंग मिल।

7. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

8. गोल्ड और गोल्ड डोर को छोड़कर।

9. उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भण्डारण के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

(ब) हॉस्पिटल, आयुष एवं वैलनेसः कायाकल्प रिसॉर्ट (Spa & Rejunevation Resort), आर्युवेद, योगा, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं स्पॉ, होटल, रिसॉर्ट, मोटेल, केबिल कार एवं रोप–वे, साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलः बंजी जम्पिंग, पॉवर बोट्स, कायकिंग, जॉय राइडिंग इन चॉपर्स, सी–प्लेन, स्किल गेम पार्क।

iv. सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सिडकुल की वर्तमान भूमि आवंटन नीति के आधार पर समय–समय पर निर्धारित दरों/मूल्य के अनुसार किया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रू. 50.00 करोड़ अथवा इससे अधिक पूंजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण करने वाली इकाईयाँ सम्मिलित होगी।

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

1. **लार्ज प्रोजेक्टस**– ऐसी लार्ज परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रू. 50 करोड़ से रू. 75 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

2. **मेगा प्रोजेक्टस**– ऐसी मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रू. 75 करोड़ से अधिक एवं रू. 200 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

3. **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस**– ऐसी अल्ट्रा मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रू. 200 करोड़ से अधिक एवं रू. 400 करोड़ तक पूँजी निवेश प्रस्तावित हो।

4. **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– ऐसी सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनायें, जिनमें नियत सीमा तक भूमि, अर्ह भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी में रू. 400 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश प्रस्तावित हो।

vii. **यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रवृत्त रहेगी और नीति की वैधता अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करने पर नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।**

स्पष्टीकरणः ऐसे उद्योग जो वर्तमान में प्रभावी नीति की मूल वैधता अवधि दिनांक 31.03.2020 से पूर्व स्थापनाधीन/विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कर चुके थे, को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से पहले अपना व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। दिनांक 31.03.2020 के पश्चात बढ़ाई गयी वैधता अवधि अथवा नयी नीति प्राख्यापित होने तक जिन परियोजनाओं की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अर्हता के आधार पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर उत्पादन प्रारम्भ करने पर ही अनुमन्य होगा।

viii. नीति के अन्तर्गत सिंडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में परियोजना हेतु भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत विशेष छूट/रियायत प्रदान की जायेगीः–

1. **लार्ज प्रोजेक्टस**– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
2. **मेगा प्रोजेक्टस**– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
3. **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस**– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
4. **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स**– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

स्पष्टीकरणः नीति के अन्तर्गत पात्र गतिविधियों में सम्मिलित होटल/रिसॉर्ट की स्थापना के लिए सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि (Commercial Activities) के लिए आरक्षित भूमि में, भूमि आवंटन पर भूमि की निर्धारित दरों में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

ix. इस नीति के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 5 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नयी परियोजना की स्थापना अथवा विद्यमान परियोजना के विस्तारीकरण के लिए दाखिल Common Application Form (CAF) पर राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के तीन वर्ष के भीतर उत्पादन में न आने वाले उद्योगों को नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी उद्यम ने कोई रियायत/वित्तीय सहायता पूर्व में प्राप्त कर ली हो और वह निर्धारित समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ नहीं करता, तो उसे प्राप्त वित्तीय सहायता ब्याज सहित वापस करना होगा।

xi. इस नीति के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट/रियायतें निम्नवत होंगीः–

1. **ब्याज उपादान :** नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाले पात्र उद्योगों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में निम्नवत प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगीः–
   (क) रू. 50.00 करोड़ से अधिक तथा रू. 75.00 करोड़ तक के लार्ज प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख प्रतिवर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता।
   (ख) रू. 75.00 करोड़ से अधिक तथा रू. 200.00 करोड़ तक के मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 35.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता।
   (ग) रू. 200.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता।
   (घ) रू. 400.00 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स पर देय ब्याज में 7 प्रतिशत, अधिकतम रू. 75.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता।
2. **एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्तिः** स्वनिर्मित माल/वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगीः–
   (क) लार्ज प्रोजक्टस के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।
   (ख) मेगा प्रोजक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरणः

1. माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।
2. एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।

   विनिर्माणक उद्यम का अर्थ है एक औद्योगिक उपक्रम या कोई अन्य प्रतिष्ठान, जो भी नाम से जाना जाता है, किसी भी तरह से माल के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है, जो उद्योगों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) (1951 का 55) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से सम्बन्धित है और जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्माणक उद्यम में रूप में परिभाषित किया गया हो।

3. **विद्युत बिल में प्रतिपूर्ति सहायता:** पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रू. 1.00 प्रति यूनिट की दर से नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी:–

(क) **लार्ज प्रोजेक्ट्स–** रू. 50 लाख प्रतिवर्ष।

(ख) **मेगा प्रोजेक्ट्स–** रू. 75 लाख प्रतिवर्ष।

(ग) **अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स–** रू. 1 करोड़ प्रतिवर्ष।

(घ) **सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स–** रू. 1 करोड़ 50 लाख प्रतिवर्ष।

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को विद्युत बिल में देय प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. **इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति:** उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक डयूटी की पात्र उद्यमों को शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप–वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5. **स्टॉम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति:** उद्यमियों को भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टॉम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

6. **भूमि क्रय विलेख पत्र/लीज डीड** के निष्पादन हेतु देय/भुगतान किये गये पंजीकरण शुल्क पर प्रति रू. 1000 पर रू. 999 की दर से प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

7. **ई0टी0पी0 पर उपादान:** उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ETP) की स्थापना हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50.00 लाख का पूंजीगत उपादान।

8. **बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु Payroll assistance :** Payroll assistance सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रू. 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे–रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रू. 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1675/VII-A-2/2021/17-Industry/2013,** Dated December 31, 2021.

Office Memorandum

December 31, 2021

No. 1675/VII-A-2/2021/17-Industry/2013-- Whereas, Mega Industrial and Investment Policy-2015 was promulgated vide Industrial Development Department, Govt. of Uttarakhand, office memorandum no. 556/VII-2/2015/17-Industry dated 28-07-2015 in which from time to time several amendments have been made vide office memorandum no. 1033/VII-1/17-Industry/2013 TC, dated 22nd December, 2016, office memorandum no. 358(1)/VII-1/2018/17-Industry/2013 TC, dated 25th May, 2018 and office memorandum no. 236/VII-A-2/2020/17-Industry/2013 dated 11th June, 2020;

And whereas, with a view to ease and simplification of policy actions, the need for a new integrated policy is being felt, incorporating all the amendments made in the said policy;

Now, therefore, keeping in view the aforesaid the Governor, is pleased to promulgate the following new **"Mega Industrial and Investment Policy, 2021"** to promote industrialization, increase economic growth rate and create employment opportunities in the state:-

i. This policy may be called **'the Mega Industrial and Investment Policy, 2021'.**

ii. Under this policy, all industrial estates/areas developed by the State Government (Industry Department/SIIDCUL), notified private industrial estates/areas/special industrial areas, Government of India, Ministry of Finance, Revenue Department's notification number 50/2003-CE dated 10th June, 2003 the Proposed Industrial Estate/Area and Expansion of the Existing Industrial Estates under the head of notified khasra numbers of land or such land legally acquired for mega projects, whose land use is in the approved master plan of the regulated area or the building map has been approved by the competent authority of the concerned regulated area/development authority for the permissible activity of commercial or service sector or the land outside the regulated area (except Municipal Corporation / Municipality / Municipality area) which has been declared as industrial/non-agricultural by the competent authority under section, 143 of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) read with rule 135 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and land reforms Rules, 1952 (as amended from time to time) shall be covered.

Explanation: The above provisions shall also be applicable for such projects being set up under Mega Industrial and Investment Policy-2015 (as amended-2016, 2018 and 2020), which have received approval from all concerned departments for the establishment of their project before the implementation of this policy, by obtaining the desired approvals/no objections/permissions, effective steps have been taken for the establishment of the enterprise.

iii. Under this policy, the following identified manufacturing and new projects of the service sector to be established in the Government industrial estates/areas and other identified sites and the existing enterprises/projects having substantial expansion will be eligible for the financial incentives provided in the policy:-

(A) All the single manufacturing industries except the following industries identified under Negative List in Annexure-I of the notification no. F.No. 2(2)/2018-SPS dated 23rd April, 2018 of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), Government of India.

Negative List:

1. All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.
2. Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).
3. Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705 (E) dated 02.09.1999 and S.O. 698 (E) dated 17.6.2003.
4. Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.
5. Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.
6. Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills.
7. Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board.
8. Except Gold and Gold Dore.

9. Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.

(B) **Hospital, Ayush & Wellness:** Spa & Rejuvenation Resort, Ayurveda, Yoga, Panchakarma, Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy & Spa, Hotel, Resort, Motel, Cable Car & Ropeway, Adventure & Leisure Sports: Bungee Jumping, Power Boats, Kayaking, Joy Riding in Choppers, Seaplane, Skill Game Park.

iv. Allotment of land to desirous entrepreneurs in SIIDCUL industrial areas shall be done on the basis of land allotment policy of SIIDCUL under single window system at the rates/values fixed from time to time.

v. Under this industrial policy, new projects with capital investment of Rs. 50 crore or more and units for expansion of existing projects shall be included.

vi. On the basis of capital investment, projects are classified as follows:-

1. **Large Projects-** Such large projects in which capital investment is proposed to be from Rs. 50 crore to Rs. 75 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

2. **Mega Projects-** Such mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 75 crore and up to Rs. 200 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

3. **Ultra Mega Projects-** Such ultra mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 200 crore and up to Rs. 400 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

4. **Super Ultra Mega Projects-** Such super ultra mega projects, in which capital investment is proposed to be more than Rs. 400 crore in land, eligible building and plant & machinery up to the prescribed limit.

vii. **This policy shall be effective from the date of issue of notification and shall be in force till 31st March, 2025 and the benefit of financial incentives provided in the policy shall be admissible on starting production during the validity period of the policy.**

Explanation: Such industries which had started the work of expansion or establishment before the date 31.03.2020, the original validity period of the policy in force at present, shall be required to start their commercial production before 30th September, 2022. Extended validity period after 31.03.2020 or till the new policy is promulgated to the projects for which in-principle approval has been issued shall be permissible only after starting production within 30 months from the date of issue of in-principle approval on merit basis.

viii. Under the policy, the following special discounts/concessions shall be provided in the current prevailing rates of SIIDCUL in allotment of land for projects in SIIDCUL industrial areas:-

1. **Large Projects-** Rebate on land rate of 15% on the prevailing rates of SIIDCUL.
2. **Mega Projects-** Rebate on land rate of 25% land on prevailing rates of SIIDCUL.
3. **Ultra Mega Projects-** Rebate on land rate of 30% land on prevailing rates of SIIDCUL.
4. **Super Ultra Mega Projects-** Rebate on land rate of 30% land on prevailing rates of SIIDCUL.

Explanation: For the establishment of hotels/resorts included in the eligible activities under the policy, the benefit of exemption in fixed rates of land shall not be admissible on land allotment in the land, reserved for commercial activity in SIIDCUL industrial area.

ix. Under this policy, 20 percent of the value of the land allotted by SIDCUL (after rebate) shall be payable on allotment and the remaining 5 years in equal installments along with fixed interest.

x. The benefit of financial incentives provided in the policy is not admissible to the industries which are not in production within three years of receipt of in-principle approval from the State Authorized Committee on the Common Application Form filed for the establishment of a new project or expansion of the existing project under the single window system. If an enterprise has availed any concession/financial assistance earlier and it does not start production within the stipulated time period, then it shall have to return the financial assistance received along with interest.

xi. The financial incentives and exemptions/concessions provided under this policy will be as follows:

1. **Interest Subsidy:** The following reimbursement assistance shall be admissible to eligible industries to be established under the policy in interest payable on term loans taken from banks/financial institutions for the next 5 years from the date of commencement of production:

   (a) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 25 lakh per annum on Large Projects above Rs. 50 crore and up to Rs.75 crore.

   (b) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 35 lakh per annum on Mega Projects above Rs. 75 crore and up to Rs. 200 crore.

(c) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 50 lakh per annum on Ultra Mega Projects above Rs. 200 crore.

(d) Interest reimbursement assistance of 7 percent, maximum of Rs. 75 lakh per annum on Super Ultra Mega Projects above Rs. 400 crore.

2. **Reimbursement of SGST:** The maximum limit and quantum of reimbursement of total net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit on B2C sale of self-made goods/products shall be as follows:-

(a) Total net SGST after adjustment of input tax credit for the next 5 years from the date of production for large projects. 30 percent of the tax liability, which is sold to the customer (B to C) within the state.

(b) Total Net SGST after adjustment of Input Tax Credit for 5 years in advance from the date of production for Mega Projects/Ultra Mega Projects/Super Ultra Mega Projects. Reimbursement of 50% of the tax liability, which is sold to the customer (B to C) within the state.

Explanation:

1. Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no share will be kept with itself. Considering the total tax liability as per the return filed and after adjustment of ITC, the unit has to pay such SGST paid under Goods and Services Tax as per the provisions of this scheme. Part of the tax will be reimbursed, which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.

2. The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

"Manufacturing enterprise" means an industrial undertaking or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods in any manner which is a part of the Industries (Development and Regulation Act, 1951) (55 of 1951) belongs to any industry specified in the first schedule, which is defined as a manufacturing enterprise in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

3. **Reimbursement assistance in Electricity Bill:** Reimbursement assistance shall be admissible to the eligible enterprises at the rate of Rs. 1.00 per unit in the electricity bill payable for the next 5 years from the date of commencement of production. The maximum annual limit of

electricity reimbursement assistance shall be as follows:-

(a) **Large Projects** - Rs. 50 lakhs per annum.

(b) **Mega Projects** - Rs. 75 lakhs per annum.

(c) **Ultra Mega Projects** - Rs. 1 Crore per annum.

(d) **Super Ultra Mega Projects** - Rs. 1.50 Crore per annum.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance payable in electricity bill shall not be admissible to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. included in the eligible service activities identified under the policy.

4. **Reimbursement of Electricity Duty:** The eligible enterprises shall be reimbursed 100% of the electricity duty due/paid on the electricity bill consumed in the production work.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance shall not be admissible on electric duty paid to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. involved in the eligible service activities identified under the policy.

5. **Reimbursement of stamp duty:** Entrepreneurs shall be given 50 percent reimbursement assistance on stamp duty charges payable in execution of land purchase deed and lease deed.

6. Reimbursement assistance at the rate of Rs. 999 per Rs. 1000 shall be given on the registration fee payable / paid for execution of land purchase deed / lease deed.

7. **Subsidy on ETP:** Capital subsidy of 30 percent subject to a maximum of Rs 50 lakh for setting up an effluent treatment plant.

8. **Payroll Assistance to encourage massive employment generation:** There shall be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, shall be given pay-roll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate shall be Rs 700/- per employee per month.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1943/II(2)/2021-06(14)/2020–राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रूद्रप्रयाग के सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सिल्ली से रूद्रप्रयाग संगम 15.55 कि0मी0 तक एवं अलकनंदा नदी पर घोलतीर से सिरोबगड़ तक 26.35 कि0मी0 तथा सिंचाई खण्ड केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के दोनो तटों पर सिल्ली से गौरीकुण्ड 111.00 कि0मी0, गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक 10.00 कि0मी0 तक रीच हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1876 दिनांक 07.10.2020, अधिसूचना संख्या–1080 दिनांक 13.08.2020 एवं अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 07.09.2020 में संलग्न अनुसूची–1 एवं 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं अर्थात्:–

अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉ, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1943/II(2)/2021-06(14)/2020,** dated December 31, 2021 for general information.

NOTIFICATION

December 31, 2021

No. 1943/II(2)/2021-06(14)/2020--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act, No 07 of 2013), the Governor is pleased to allow the sanction of following work execution in these area with declaration flood plain zoning to the referred area annexed schedule 1 and 2 of the notification no-1876 dated 07.10.2020, notification no-1080 dated 13.08.2020 and notification number-1377 dated 07.09.2020, from Silli to Rudraprayag Sangam reach up to 15.55 Km on Mandakini river in irrigation section Rudraprayag district, from Gholtir to Sirobgad reach up to 26.35 Km on Alaknanda river and Silli to Gaurikund reach up to 111.00 Km. and Gaurikund to Kedarnath reach up to 10.00 Km on both banks of Mandakini river in irrigation section Kedarnath District Rudraprayag namely:-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction/Activities regarding embankment/ flood Management, Mining, Plantation, Agriculture, Bathing Ghats, Construction River Front development, Irrigation, Drinking water scheme, Water sports, Water transportation and Bridge etc.
2.	Restricted Area	Activities regarding Park, Sports Field, Fisheries, Agriculture etc. and the temporary construction required for religious fairs from time to time shall be permissible While ensurinng proper management of Sewage and solid waste generation by the above activities the above shall be tested by the Uttarakhand Drinking Water Corporation. The reconstruction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35 percent floor area ratio 1.5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/ no obejection certificate shall be necessary from the Uttarakhand Drinking Water Corporation for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment.

By Order,

H.C.SEMWAL,

Secretary.

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/पदोन्नति

04 जनवरी, 2022 ई0

संख्या 06/2022/13(100)/XXVII(8)/2001–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्न उपायुक्तों, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '12' रू0 78800–208200 (पूर्व वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड वेतन रू0 7600) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

02– उक्त पदोन्नत अधिकारियों को संयुक्त आयुक्त के निम्न रिक्त पदों पर तैनात किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1	ठा0 रणवीर सिंह	संयुक्त आयुक्त, एस0आई0बी/प्रवर्तन, काशीपुर
2	श्री राजेन्द्र लाल वर्मा	संयुक्त आयुक्त, कार्यपालक रूद्रपुर संभाग, रूद्रपुर।

03– उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकि. स्वा. एवं चिकि. शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

31 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 991/XXVIII-2-2021-76/2015–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत भेषजिक (फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 35400–112400 पे–मैट्रिक्स लेवल–06 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत कार्मिक श्री दिनेश प्रसाद पुरोहित को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के रिक्त पद पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति दिनांकः 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। पदोन्नत अधिकारी को मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

गरिमा रौंकली,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/158–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मार्च, 2022 ई0 (फाल्गुन 14, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 22, 2021

No. 1386/III-A-10/SLSA/2021--Smt. Anamika Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag is hereby sanctioned Child Care Leave for a period of **19 days w.e.f. 22.11.2021 to 10.12.2021** with permission to suffix of 11.12.2021 and 12.12.2021 as second Saturday and Sunday holidays in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K.KHULBEY,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 11, 2022

No. 03/XIV/-a/32/Admin.A/2018--Ms. Urvashi Rawat, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 16.11.2021 to 04.12.2021.

NOTIFICATION

January 11, 2022

No. 04/XIV/a-40/Admin.A/2017--Ms.Nisha Devi, Civil Judge (Jr. Div.), New Tehri, District Tehri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 14.12.2021 to 23.12.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 21, 2022

No. 06/XIV-1/Admin.A/2008--Shri Ambika Pant, Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 29.12.2021 to 07.01.2022 with permission to suffix 08.01.2022 & 09.01.2022 as 2nd Saturday & Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 28, 2022

No. 09/XIV-a/53/Admin.A/2015--Ms.Suman, Judicial Magistrate, Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 03.01.2022 to 15.01.2022 with permission to prefix 25.12.2021 to 31.12.2021 as Christmas holidays, 01.01.2022 as New year holiday & 02.01.2022 as Sunday holiday and suffix 16.01.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 28, 2022

No. 10/XIV/8/Admin.A/2008--Ms.Reena Negi, F.T.C./Addl. District & Sessions Judge, POCSO, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 20.01.2022 to 23.01.2022.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CORRIGENDUM

NOTIFICATION

February 02, 2022

No. 11/XIV-a/32/Admin.A/2018--This is with reference to the earlier issued notification No. 03/XIV/a/32/Admin.A/2018 dated Jan. 11, 2022 regarding earned leave of Ms. Urvashi Rawat, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun.

In said notification, the words "earned leave for 11 days w.e.f. 16.11.2021 to 04.12.2021" be read as "earned leave for 11 days w.e.f. 16.11.2021 to 26.11.2021".

Sd/-

I/c Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 07, 2022

No. 12/UHC/Admin.A/2022--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 789(1)/XXX(4)/2022-04(2)/2018 dated 04.02.2022, Shri Ishank is posted as Judicial Magistrate, Kotdwar, District Pauri Garhwal in the pay scale of ₹ 27,700-770-33,090-920-40,450-1080-44,770.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

February 08, 2022

No. 13/XIV-a/58/Admin.A/2012--Ms.Neha Qayyum, 3rd Additional Civil Judge (Sr.Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 02.08.2021 to 28.01.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 09, 2022

No. 14/UHC/Stationery/2022--High Court of Uttarakhand has been pleased to declare holiday on 14.02.2022 (Monday) in the High Court of Uttarakhand and Subordinate Courts on account of Legislative Assembly Election pursuant to the Government Notification no. 132/xxxi(15)G/2022-31(सा0)/2015 dt. 02.02.2022, issued under section 25 of The Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. 26 of 1881).

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

18th February, 2022

No. 15/UHC/Admin.B/2022--Having considered the current COVID effected cases, and in view of the guidelines issued by the Government of India and the State Government, in supersession of the Notification No. 01/UHC/Admin B/2022 dated 07.01.2022 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, the Acting Chief Justice is pleased to give following directions for transaction of business of the Hon'ble Court w.e.f. 21.02.2022 (Monday).

1. The Hon'ble Court will take up all types of matters.
2. Without affecting discretion of the Hon'ble Court to take up any particular matter through video conferencing due to its special facts and circumstances, all other matters will be taken up through normal (physical) mode by following the COVID guidelines.
3. All the litigants, advocates, officers and staff of the Hon'ble High Court will also follow COVID guidelines, within the High Court premises, as may be issued by the Government of India, State Government and the Local Authorities from time to time for all public places.

By Orders of the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

18th February, 2022

No. 16/UHC/Admin.B/2022--Having considered the current COVID effected cases, and in view of the guidelines issued by the Government of India and the State Government, in supersession of the Notification No. 08/UHC/Admin B/2022 dated 21.01.2022 of the Hon'ble High Court, Hon'ble Court is pleased to issue following directions for transaction of business of the Subordinate Court w.e.f. 21.2.2022 (Monday).

1. Subordinate Courts will take up all type of matters.
2. Without affecting discretion of the Subordinate Courts to take up any particular matter through video conferencing due to its special facts and circumstances under the provisions of High Court of Uttarakhand Video Conferencing Rules, 2020, all other matters will be taken up through normal (physical) mode by following the COVID guidelines.
3. All the litigants, advocates, officers and staff of the Subordinate Courts will also follow COVID guidelines, within premises of the Subordinate Courts, as may be issued by Government of India, State Government and Local Authorities from time to time for all public places.

By Orders of the Hon'ble Court,

Sd/-

Registrar General.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1402/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या **UK07PA-1449 (BUS)** मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03952 इंजन न0 21B84043798 इस कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं.। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक **29.12.2021** को वाहन संख्या **UK07PA-1449 (BUS)** मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03952 इंजन न0 21B84043798 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1403/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK07PA-0895 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412066A0H15004 इंजन न0 01H62918994 इस कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.12.2021 को वाहन संख्या UK07PA-0895 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412066A0H15004 इंजन न0 01H62918994 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1405/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK07PA-1509 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MB1PCEYC1CAYD6842 इंजन न0 CAHZ104411 इस कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.12.2021 को वाहन संख्या UK07PA-1509 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MB1PCEYC1CAYD6842 इंजन न0 CAHZ104411 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1406/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK07PA-1973 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412011D0E03715 इंजन न0 31D84107227 इस कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.12.2021 को वाहन संख्या UK07PA-1973 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412011D0E03715 इंजन न0 31D841072271 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1408/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UK07PA-1440 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B03552 इंजन न0 21B84042501 इस कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2021 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.12.2021 को वाहन संख्या UK07PA-1440 (BUS) मॉडल 2011 चैचिस MAT412049C0B03552 इंजन न0 21B84042501 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1417/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UP290883 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 84VEJ358009 इंजन न0 A1068345A इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री मथुरादत्त पुत्र श्री प्रेम बल्लभ निवासी–मकान संख्या 233 रेलवे वार्ड नम्बर 10 टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/12/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.12.2021 को वाहन संख्या UP290883 (HGV) मॉडल 1999 चैचिस 84VEJ358009 इंजन न0 A1068345A को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1422/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA03-5383 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 91VFJ61680P इंजन न0 SVFE79888 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी–मकान संख्या 168 ग्राम–दयूरी चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/12/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2021 को वाहन संख्या UA03-5383 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 91VFJ61680P इंजन न0 SVFE79888 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांकः–1431/पंजीयन निरस्त/2021–22–वाहन संख्या UA031342 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 89VFJ55764P इंजन न0 B62745SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नवीन चन्द्र जोशी पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी निवासी–छिनीगोठ टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 20/12/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2021 को वाहन संख्या UA031342 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 89VFJ55764P इंजन न0 B62745SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/158–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।